न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—41 / 18 (2018 / 00098) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—घीसा पिता रत्ता बलाई निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—सोहनलाल पिता पोखर सालवी निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी

2—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 05.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी कृषि आराजियात खाता संख्या 88 में वर्णित संख्या 1753 / 1077 रकबा 0.20 है0 अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी का कोई लेना देना नही लेकिन प्रतिवादी ताकत के बल पर वादी की आराजी को बर्बाद करने पर आमादा है। वादी की आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर थोहरो की बाड़ को काट दिया ओर आराजी पर आने जाने के रास्ते व पानी प्रवाहित होने के धोरे को भी थोहरो की बाड़ लगाकर बन्द कर दिया। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी विपक्षीगण विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वाद वर्णित कृषि आराजियात संख्या 1753 / 1077 में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही रास्ते व पानी के धोरे को बन्द नही करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें व न अपने नौकर एजेन्ट कारकुन के माध्यम से करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है जिससें वादी के पक्ष में एक तरफा कार्यवाही की गई।

वादी अधिवक्ता के द्वारा दौराने सुनवाई वाद में निवेदन किया कि वादी स्वयं खातेदार है जिसकी जमाबन्दी नकल पेश की गई विपक्षी का इस आराजियात से कोई लेना देना है फिर भी वादी के स्वामित्व ओर कब्जे काश्त की भूमि में दखल करता है प्रतिवादी के द्वारा बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो चुका है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। अतः वाद में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी करना फरमावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित भूमि वादी स्वयं की खातेदारी भूमि है। विपक्षी के नाम भुमि दर्ज नही है। विपक्षी के द्वारा बावजुद सूचना जवाब प्रस्तुत नही करने से एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो चुका है विपक्षी सहखातेदार नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर विपक्षी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी की कृषि आराजियात खाता संख्या 88 में वर्णित आराजी संख्या 1753/1077 रकबा 0. 20 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात में वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे कास्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही रास्ते व पानी के धोरे को बन्द करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें व न अपने नौकर एजेन्ट कारकुन के माध्यम से करावें। तदानुसार डिकी जारी हो। तहसीलदार रायपुर पालना करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.12.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–41 / 18 (2018 / 00098) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–घीसा पिता रत्ता बलाई निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा वादी

बनाम

1–सोहनलाल पिता पोखर सालवी निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी की कृषि आराजियात खाता संख्या 88 में वर्णित आराजी संख्या 1753 / 1077 रकबा 0.20 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात में वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे कास्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही रास्ते व पानी के धोरे को बन्द करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें व न अपने नौकर एजेन्ट कारकुन के माध्यम से करावें। तदानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार रायपुर पालना करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:50:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: